रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042023-244936
CG-DL-E-05042023-244936

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 5, 2023/चैत्र 15, 1945
No. 210] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 5, 2023/CHAITRA 15, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 271(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'ग' (साधारण ड्यूटी/तकनीकी/ट्रेडमैन) काडर भर्ती नियम, 2010 को, जहां तक कि उनका संबंध कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में साधारण ड्यूटी काडर समूह 'ग' पद में कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी), साधारण ड्यूटी काडर, समूह 'ग' पद , भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. अनुरक्षण.- बिना भरे रहा ऐसा प्रत्येक पद और प्रत्येक रिक्ति जो तत्पश्चात् उदभूत हो सकेगी उक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उपबंधो और ऐसी पद्दति के अनुसार भरी जाएगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाए।

5. ज्येष्ठता.- ज्येष्ठता, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 और केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए साधारण अनुदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

6. निरर्हता.- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. भारत के अनागरिकों की अपात्रता.- कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, इन नियमों के अधीन केंद्रीय सरकार की लिखित में पूर्व अनुमति के सिवाय नियुक्त नहीं किया जाएगा :

परन्तु इस नियम में कोई भी बात अंतविर्ष्ट नहीं है जो बल में नेपाल या भूटान के मामले में नियुक्ति या नियोजन पर रोक लगाएगी।

8. अधिवर्षिता.- (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति उस मास के अंतिम दिन के अपराह्न से सेवा से सेवानिवृत्त होगा जिस मास में वह साठ वर्ष की आयु या जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये, प्राप्त करता है :

परंतु वह व्यक्ति जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख हो, वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की विहित आयु के परे सेवा में विस्तार मंजूर नहीं किया जाएगा।

9. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

10. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

11. निर्वचन.- यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उदभूत होता है, तो उसे केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी)	*129929 (2023) (पुरुष-125262 और महिला-4667) *(कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय योद्धक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -3 (21700- 69100 रुपए)	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(6)
18 से 23 वर्ष के बीच। (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों की दशा में पांच वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में तीन वर्ष शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए। **टिप्पण 2:-** भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जाएगी। **टिप्पण 3:-** भूतपूर्व अग्निवीरों के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा तीन वर्ष तक शिथिल की जाएगी।

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(7)
(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य अथवा भूतपूर्व सैन्य कार्मिकों की दशा में समतुल्य सैन्य अर्हता। (ii) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) के पद पर भर्ती के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानदंड केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित स्कीम के अनुसार लागू होंगे। (iii) भर्ती के लिए विज्ञापन में उल्लिखित कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) के लिए यथाविहित शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा में अर्हक होना चाहिए। **टिप्पण**: भूतपूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) से छूट प्रदान की जाएगी।

क्या सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण**: कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) के पद पर भर्ती के लिए 10 प्रतिशत रिक्तियां भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(11)	**(12)**	**(13)**
लागू नहीं होता	समूह **'ग'** विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: - 1. उप महानिरीक्षक या कमांडेंट - अध्यक्ष; 2. उप कमांडेंट - सदस्य- I; 3. सहायक कमांडेंट - सदस्य- II	लागू नहीं होता।

[फा. सं. एम-पांच-1/2022-सीआरपीएफ-स्था.-डीए-1(अग्निवीर)]

ललित कपूर, उप सचिव (कार्मिक.II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2023

G.S.R. 271(E) —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and in supersession of the Central Reserve Police Force Group ‘C’ (General Duty/Technical/Tradesmen) Cadre Recruitment Rules, 2010 in so far as they relate to the post of (General Duty Cadre), Constable, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Constable (General Duty) in Group ‘C’ post, General Duty Cadre in the Central Reserve Police Force, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Constable (General Duty), General Duty Cadre, Group ‘C’ Post, Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix. - The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Maintenance.- Every post remained unfilled and every vacancy that may arise thereafter shall be filled in accordance with the provisions as specified in the said Schedule and the procedure as may be prescribed by the Central Government from time to time.

5. Seniority.- Seniority shall be regulated in accordance with the Central Reserve Police Force Rules, 1955 and general instructions issued by the Central Government from time to time.

6. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

7. Ineligibility of non-citizens of India.-No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

8. Superannuation.- (1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years or as prescribed by the Central Government from time to time :

Provided that a person whose date of birth is on the first day of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation.

9. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

10. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and others special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

11. Interpretation.- If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Central Government.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Constable (General Duty)	*129929 (2023) (Male-125262 and Female-4667) *(Subject to variation dependent upon work load)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, (Non-Ministerial Combatant)	Level-3 (Rs. 21700- 69100/) in the pay matrix	Not applicable

Age-limit for direct recruits.
(6)
Between 18 and 23 years. (Five years age relaxation in case of Scheduled Castes or Scheduled Tribes and three years in case of Other Backward Classes candidates.) **Note 1:**- The crucial date for determination of the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. **Note 2:**- The upper age-limit shall be relaxable upto five years for the candidates of the first batch of Ex-Agniveers. **Note 3:-** The upper age-limit shall be relaxable upto three years for the candidates of Ex-Agniveers.

Educational and other qualifications required for direct recruits.
(7)
(i) Matric or equivalent from a board or university recognised by the Central Government or State Government or equivalent Army qualification in case of Ex-Army personnel. (ii) Physical and Medical Standard for recruitment to the post of Constable (General Duty) in Central Reserve Police Force shall be applicable as per the Scheme prescribed by the Central Government from time to time. (iii) Must qualify Physical Efficiency Test and written examination as prescribed for Constable (General Duty) mentioned in the advertisement for recruitment. **Note:** Ex-Agniveers shall be exempted from Physical Efficiency Test (PET).

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment. **Note :** Ten per cent. vacancies shall be reserved for Ex-Agniveers for recruitment to the post of Constable (General Duty).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** 1. Deputy Inspector General or Commandant -Chairman ; 2. Deputy Commandant - Member-I ; 3. Assistant Commandant - Member-II.	Not applicable.

[F. No. M.V. 1/2022-CRPF-Estt-DA-1(Agniveer)]

LALIT KAPOOR, Dy. Secy. (Pers.II)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA